रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 63] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 12, 1975/माघ 23, 1896

No. 63] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 12, 1975/MAGHA 23, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF COMMERCE

ORDER

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 12th February 1975

S.O. 91(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports & Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Exports (Control) Order, 1968, namely:

1. This Order may be called the Exports (Control) Fifth Amendment Order, 1975.

2. In the Exports (Control) Order, 1968, Schedule I, Part 'B' the following entry shall be added after item No. 122:—

"123—Foods using Soyabean as base".

[No. E(C)O, 1968/AM(150)]

B. D. KUMAR,

Chief Controller of Imports & Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

आदेश

निर्यात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 1975

का० आ० 91(अ).—आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) की धारा 3 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1968 में और आगे संशोधन करने के लिये निम्नलिखित आदेश का निर्माण करती है, अर्थात :—

1. इस आदेश को निर्यात (नियंत्रण) पांचवां संशोधन आदेश, 1975 की संज्ञा दी जाये ।

2. निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1968 की अनुसूची 1, भाग बी में निम्नलिखित प्रविष्टि को क्रम संख्या 122 के बाद जोड़ा जाएगा :—

"123— खाद्य पदार्थ जिनमें सोयाबीन को मूल रूप से प्रयोग किया जा रहा है" ।

[सं० ई (सी) बी, 1968/ए एम (150)

बी० डी० कुमार,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975